

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रधानक : एफ 2(6) राजस्थान/राजस्थान / 16-17 / 736।

दिनांक : 13/03/2018

कार्यालय आदेश

आयोग कार्यालय हेतु कानिक राजस्थान/लिपिक ग्रेड-II संयुक्त सौधी गर्ती परीक्षा, 2018 उत्तीर्ण करने पर आरक्षित सूची के निम्नान्ति आयर्थी को कार्यक्रम परिभासा की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं पित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 15(1)एप्रिल/जल्दी/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार आयोग कार्यालय में प्रोवेशनर ट्रेनी के रूप में नियमित नियमित पारिशमेन्ड (Fixed Remuneration) राशि रु. 14600/- प्रतिमाह एवं परिविधाकाल संतोषजनक रूप से पूरी फर्जी के उपरांत पै-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधिकारित शर्तों पर कार्यगार संगालने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए अस्थाई तौर पर लिपिक ग्रेड-II पद पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	आयर्थी का नाम	आयर्थी का वर्ग	चयन वर्ग	आयोग हेतु अस्थाई आरक्षित सूची क्रमांक	जन्म दिनांक
1	श्री अपरेश गुग्गार शर्मा	सामान्य	सामान्य	R-7	06.06.1994

शब्दों—

- उपरोक्त आयर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार सम्पालना होगा। किसी कारणात्मक 15 दिवस में उक्त पद का कार्यगार संगालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट बताए हुए नियमहस्ताक्षराकान्त त्रुति के सूचित कर देयें कि वे कव तक कार्यगार संगालेंगे। नियांरित अवधि में कार्यगार नहीं संगालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्रताही की जावेगी।
- आयर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र मय सत्यापित प्रतियों के प्रस्तुत करना होगा, ताकि आयोग रत्न पर चयन स्पष्ट किया जा सके। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत घेतन होगा, ताकि आयोग रत्न पर चयन स्पष्ट किया जा सके। साथ ही कार्यग्रहण पर कार्य करने की अपनी सहमति (यदि लागू हो तो) लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कार्यग्रहण पर कार्य करने से पूर्व रांबंधित आयर्थी को 50 रु० के नीन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी ग्रहण करना होगा कि उनके द्वारा आदेश पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज़/सूचना असल्य पाये जाने पर आयोग को चयनित आयर्थी की सत्ता है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज़/सूचना असल्य पाये जाने का अधिकार होगा।
- यदि आयर्थी के दस्तावेजों में कोई की अथवा दस्तावेज़ फर्जी घाए जाते हैं तो सज्ज सरकार इनकी सेवाएं तत्त्वात् समाप्त कर सकती।
- परिवीक्षातानि अवधि में कोई वार्षिक घेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
- यदि आयर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल वर्ग समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें नियमित किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय नियुक्त किया जा सकता।
- परिवीक्षाकाल के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही लिपिक ग्रेड-II पद की पै-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार घेतन एवं उस पर भर्ते इस्तादि देय होंगे।
- परिवीक्षाकाल में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
- यदि आयर्थी पूर्व से ही नियमित सज्ज सेवा में कार्यरत है, उसे सज्ज सरकार के नियमानुसार ही घेतन, भर्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित गार्थ्य से कार्यग्रहण किए जाने का आदेश, अनापति प्रगाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त नियुक्ति सज्ज सरकार द्वारा साध्य-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत सामिल होनी एवं साध्य-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
- उपरोक्त नियुक्ति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता/प्रशैक्षणिक योग्यता/आयु/वर्ष/अन्य मूल प्रमाण-पत्रों की भौतिक जांच के उपरान्त चयन स्पष्ट होने के अध्यात्म रहेंगी।
- आयर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ-पत्र/धूमपान नहीं करने/दहेज नहीं लेने/दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ-पत्र तथा दो उत्तरदाती व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रगाण-पत्र, अनिंग शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रगाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- आयर्थी के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन संबंधी कार्यवाही आयोग में कार्यग्रहण के उपरान्त की जायेगी तथा पुलिस विभाग द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संवेदित आयर्थी को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन के द्वारा नार्डी भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर आयोग की चयनित आयर्थी की अध्यर्थिता नियरस्त करते हुए उनका चयन नियरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संवेदित आयर्थी को 50 रु० के नीन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन के द्वारा नार्डी भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर आयोग की चयनित आयर्थी की अध्यर्थिता नियरस्त करते हुए उनका चयन नियरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
- गर्भी प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाने के उपरान्त राजस्थान कार्यवाही चयन वोर्ड, जगपुर द्वारा जारी की गई रक्षाएँ आरक्षित सूची क्रमांक के अनुसार ही आयोग की रक्षाएँ आरक्षित सूची गांव होंगी। सकुरुसार ही उक्त आरक्षित सूची की अध्यर्थी की चयनित आयोग हेतु उगता भर्ती परीक्षा जो उगता आरक्षित सूची प्रगाणक के अनुसार तथा रांबंधित सेवा नियमों में अंकित प्रावधानानुसार अवधारित होगी।
- आयर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व अधीक्षण, जायाएर जाल नेट चिकित्सालय, अजमेर के रामका उपरिषेष्ठ होकर अपने स्थारथ की जांच करवाकर स्थारथ प्रगाण पत्र आयोग कार्यालय को प्रत्यक्ष करना होगा।

2/2

क्रमांक : एफ 2(6) रायथा/रालोरेगा १०-१७/८३६२-७
प्रतिलिपि निम्नांकित गो सम्मार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : १३/०३/२३

१. सम्मुख शासन संचित, कार्मिक (८-२) विभाग, शासन संचितालय, राज., जयपुर।
२. शासन संचित, वित्त विभाग, शासन संचितालय, राज., जयपुर।
३. संचित, राजस्थान राजनीतिक चर्चा बोर्ड, जयपुर।
४. कोषाधिकारी, अजगेर।
५. लेखा अनुगाम, राज० लोक रोपा आयोग, अजगेर। (वीन प्रतियों)
६. आई.टी. प्रकोष्ठ (प्रभारीहट पर अपलोड विभाग, जयपुर)
७. अधीक्षक, जयाहर लाल नेहरू विकासनीलगड़ी अधीक्षक, आपरो निवेदन है कि उपरोक्त आयर्थी को स्वास जीव को उनके रवैये में स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी करने का काट करें। संविधित आयर्थी को निर्देश दिये हैं कि वे स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आपके राम्युख उपरिथत हों।
८. अनुगाम अधिकारी-राम० एवं व्यवस्था।
९. श्री अपेश चूमार शर्मा - आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप कार्यग्रहण करने से पूर्व अपने जांच हेतु अधीक्षक, जयाहर लाल नेहरू विकासनीलगड़ी अधीक्षक के समक्ष उपरिथत हों।
१०. संचित निजी पत्रावली।


(सुनिता मून्दडा
सहायक सचिव

मेरी

मेरी

मेरी